कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशॉक--वा0क0अधि0 / युगलपीठ / —— / 2026 दि0 लखनऊः 24 जुलाई, 2026

–:: संशोधित आदेश ::–

मुख्यालय के आदेशांक 591 / 2026 दिनांक 05.06.2026 के द्वारा माह जुलाई, 2026 में युगलपीठ का गठन **जनपद प्रयागराज में दिनांक 27.07.2026 से 28.07.2026 तक** किया गया है। उपरोक्त युगलपीठ में न्यायिक सदस्य के रूप में सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1 लखनऊ को नामित किया गया है।

सदस्य, पीठ–1 लखनऊ ने पत्र संख्या–546 दिनांक 23.07.2026 द्वारा अवगत कराया है कि अपरिहार्य कारणों से प्रयागराज जनपद में दिनांक 27.07.2026 से 28.07.2026 तक गठित युगलपीठ में सम्मिलित होने में असमर्थ होने के कारण युगलपीठ से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त अपरिहार्य परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचार करते हुए, पूर्व निर्गत युगल पीठ गठन आदेश संख्या–591 / 2026 दिनांक 05.06.2026 द्वारा **जनपद प्रयागराज में दिनांक 27.07.2026 से 28.07.2026 तक गठित युगल पीठ** में सदस्य पीठ–1 लखनऊ के स्थान पर सदस्य पीठ–1 वाराणसी को नामित किया जाता है। उपरोक्त गठित युगल पीठ कार्यक्रम की शेष स्थिति यथावत रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह0 / 24.07.2026

(रमेश चन्द–1)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या–वा0क0अधि0 / यु0पी0 / 827 / 2026 दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1, लखनऊ / पीठ–1, वाराणसी / पीठ–1 व 2 प्रयागराज।

2– वैयक्तिक सहायक, अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0, लखनऊ ।

3– प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ सहायक (विवरण / वेव अधिकारी / नाजिर, मुख्यालय।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र कुमार)

निबंधक, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।